(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORI[illegible]RY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DE[illegible]
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 34/2021– State Tax

Dated: the 5 Ja[illegible] 2022

No. F.3 (143)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/06 – In partial modification of the [illegible]ations of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department [illegible]nance (Expenditure-IV), No. 35/2020-State Tax, dated the 24th March, 2021, publi[illegible]n the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3(84)/Fin.(Exp-IV)2020-21/[illegible]/288, dated the 24th March, 2021 and No. 14/2021-State Tax, dated the 17th Nov[illegible] 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. No. F.3(11[illegible](Exp-I)/2021-22/DS-I/313, dated the 17th November,2021, in exercise of the powers c[illegible]ed by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (herea[illegible]n this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated [illegible]s and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union Territory [illegible]s and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital T[illegible]ory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies that where a regis[illegible]n has been cancelled under clause (b) or (c) of sub-section (2) of section 29 of the said A[illegible]d the time limit for making an application of revocation of cancellation of registration [illegible] sub-section (1) of section 30 of the said Act falls during the period from the 1st day [illegible]arch, 2020 to 31st day of August, 2021, the time limit for making such application shall b[illegible]nded upto the 30th day of September, 2021.

By Order and in the N[illegible]f the
Lt. Governor of the National Capital Territor[illegible]elhi,

(Mano[illegible]nar)
Dy. Secretary I[illegible]nce)

No. F.3 (143)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/06 **Dated: the 5 Janu[illegible]022**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the [illegible]st to

publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 34/2021–राज्य कर

दिनांक: 5 जन 2022

सं0फा0 03(143)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस– I/06 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ल्ली के वित्त विभाग (व्यय–IV) की अधिसूचना सं.35/2020–राज्य कर, तारीख 24 मार्च, 2021 जो ल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV में सं. सं0फा0 03(84)/वित्त (व्यय–IV)/2020–21/डीएस– /288 तारीख 24 मार्च, 2021 और अधिसूचना सं. 14/2021– राज्य कर, तारीख 17 नवम्बर, 21 जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV में सं0फा0 03(1 /वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस–I/313 तारीख 17 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई ो, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 क 3) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धा 21 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इस पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करते हैं जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी रि ोकरण को रद्द कर दिया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रि ोकरण के रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समयसीमा 1 मार्च, 2020 से 3 अगस्त, 2021 की समयावधि के दौरान आती है, तो ऐसा आवेदन करने की समयसीमा का 30 सितं 2021 तक विस्तार किया जाएगा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप ज्यपाल
के आदेश से तथा उनके ाम पर

(मनोज कुमार)
उप सचिव– (वित्त)

सं0फा0 03(143)/वित्त (व्यय–I)/2021–22/डीएस– I/06 दिनांक: 5 जनव 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र ाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।

5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

11 वेब साईट।

12 गार्ड फाइल।

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)
उप सचिव– I (वित्त)